

अधि. उ. नं. ३३७३५
 पर है अन. पत्रकी वाली
 दिनांक २३/०८/२५

06.08.25

आज यह पत्रावली वादी वकील के
 हाथ पर प्रस्तुत करने पर पेशी हुई
 हमने वकील द्वारा को सुना गया
 कि उन्होंने अज्ञात कसबा है कि
 उम्र पक्ष का नाम में ज्ञापन में
 दाखिल करा जाएगा अतः हम फाइल
 को और आगे नहीं चलाया जायेगा
 अतः पत्रावली बंदी एवं विज्ञापन
 चाहते हैं

हमने प्रस्तुत प्रमाण एवं पत्रावली
 का अवलोकन किया गया प्रमाण
 स्वीकार किया गया है तथा पत्रावली
 बंदी एवं विज्ञापन किया गया है
 पत्रावली फाइल सुमय से नष्ट
 हो कम से कम तकनीक जांचा इतिहास
 रखा है

90 del

↓
 राधेश्याम शर्मा
 उपाध्यक्ष अखिल भारतीय
 मुसलमान (वि. उ.)